दिनांक–15.10.2026 को अपराह्न 03:00 बजे ईखायुक्त, बिहार की अध्यक्षता में गठित परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त आवेदनों की समीक्षा हेतु आहूत बैठक की कार्यवाही .

उपस्थिति :– संचिका में अलग से संधारित (छाया प्रति संलग्न)।

बैठक की कार्यवाही ईखायुक्त, बिहार की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुई।

बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत् वित्तीय वर्ष 2026–27 में माध्यम से दिनांक–25.09.2026 तक आवेदन प्राप्त किये गये। आवेदन की अंतिम तिथि तक विभिन्न क्षमताओं के गुड़ इकाइयों के कुल 07 आवेदन प्राप्त किये गये। दिनांक–30.09.2026 को प्राप्त सभी 07 आवेदनों को रैण्डमाइज किया गया, रैण्डमाइजेशन के पश्चात् कुल 07 आवेदन चयनित हुए, जिसकी बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम के प्रावधानों के तहत् गठित परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा समीक्षा की गयी।

समीक्षोपरान्त परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा उक्त 07 आवेदनों को दी गई अभ्युक्ति निम्नवत् हैः–

क्रं सं०	आवेदन सं०	आवेदक का नाम	वर्ग	ईख पदाधिकारी कार्यालय	इकाई की क्षमता	अभ्युक्ति
1	20268311923	श्री चौधरी सुरेश सिंह	सामान्य	ईख पदाधिकारी, पटना	लघु (5-20TCD)	अनुमोदित
2	20269221927	श्री लोकेश कुमार	सामान्य	विशेष ईख पदाधिकारी, पटना	मध्यम (21-40TCD)	अनुमोदित
3	20269221931	श्री अनिल साह	सामान्य	विशेष ईख पदाधिकारी, पटना	लघु (5-20TCD)	अनुमोदित
4	20269181930	श्री मोहम्मद अख्तर	सामान्य	ईख पदाधिकारी, लहेरियासराय	लघु (5-20TCD)	ईख अनुसंधान संस्थान पूसा से प्राप्त सुझाव के आलोक में आवेदक द्वारा DPR में आवश्यक संशोधन किये जाने के उपरान्त प्रस्ताव को आगामी PAC की बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
5	20269151929	श्री धीरज सिंह	सामान्य	विशेष ईख पदाधिकारी, पटना	लघु (5-20TCD)	ईख अनुसंधान संस्थान पूसा से प्राप्त सुझाव के आलोक में आवेदक द्वारा DPR में आवश्यक संशोधन किये जाने के उपरान्त प्रस्ताव को आगामी PAC की बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

6	20269251932	श्री ब्रजकिशोर यादव	सामान्य	ईख पदाधिकारी, लहेरियासराय	मध्यम (21-40TCD)	ईख अनुसंधान संस्थान पूसा से प्राप्त सुझाव के आलोक में आवेदक द्वारा DPR में आवश्यक संशोधन किये जाने के उपरान्त प्रस्ताव को आगामी PAC की बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
7	20269171925	श्रीमती अर्चना कुमारी	सामान्य	ईख पदाधिकारी, लहेरियासराय	वृहद (41-60TCD)	ईख अनुसंधान संस्थान पूसा से प्राप्त सुझाव के आलोक में आवेदक द्वारा DPR में आवश्यक संशोधन किये जाने के उपरान्त प्रस्ताव को आगामी PAC की बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

2. आवेदन संख्या– 20266191908, आवेदिका– सफीना खातून के आवेदन को ऑनलाइन समर्पित DPR में आवश्यक सुधार के पश्चात् आगामी PAC की बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

3. चयनित आवेदक का परियोजना हेतु स्वयं के नाम से भूमि के अतिरिक्त पैतृक भूमि (जिसका आवेदक के नाम से म्यूटेशन नहीं हुआ है जबकि वे भूमि के शेयर होल्डर हैं), वैसे आवेदक के संबंध में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वंशावली तथा परिवार के सभी जीवित सदस्यों का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर संबंधित ईख पदाधिकारी कार्यादेश निर्गत कर सकेगें।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई।

संयुक्त निदेशक, ईख विकास,गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना।	संयुक्त ईखायुक्त, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना।	आंतरिक वित्तीय सलाहकार, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना।	उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना।	ईखायुक्त, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–02/रेगु०–2–700–26/2026–2001/20 0910 /पटना, दिनांक–26 अक्टूबर, 2026

प्रतिलिपि–सभी ईख पदाधिकारी/सभी विशेष ईख पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, ईख विकास/सभी उप निदेशक, ईख विकास/सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर/संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना/ संयुक्त निदेशक, ईख विकास/उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त।

ज्ञापांक–02/रेगु०–2–700–26/2026–2001/ई०खा०/पटना, दिनांक– 26 अक्टूबर, 2026

प्रतिलिपि–वरीय तकनीकी निदेशक, NIC, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त।

ज्ञापांक–02/रेगु०–2–700–26/2026–2001/ई०खा०/पटना, दिनांक– 26 अक्टूबर, 2026

प्रतिलिपि–सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त।

ज्ञापांक–02/रेगु०–2–700–26/2026–2001/ई०खा० /पटना, दिनांक–26 अक्टूबर, 2026

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त।

ज्ञापांक–02/रेगु०–2–700–26/2026–2001/ई०खा०/पटना, दिनांक–26 अक्टूबर, 2026

प्रतिलिपि–आई० टी० प्रबन्धक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त।